पत्रांक– 01 / स्टे०–03–21 / 2025.......34/रा.

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग

(कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य प्रभाग)

फोन: 0651–2400981, फैक्स:0651–2400982, ई–मेल: govjharkhandtourism@gmail.com

प्रेषक:

मनोज कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

राँची दिनांक 17.06.2025

विषयः– **बोकारो जिलान्तर्गत जरीडीह प्रखण्ड के पंचायत–चिलगड्डा में स्टेडियम निर्माण हेतु रू० 83,04,550/– (तिरासी लाख चार हजार पाँच सौ पचास) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेशः स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक– 198/खे०, दिनांक– 16.04.2025 के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आलोक में बोकारो जिलान्तर्गत जरीडीह प्रखण्ड के पंचायत–चिलगड्डा में स्टेडियम निर्माण हेतु विभागीय मॉडल प्राक्कलन पर रू० 83,04,550/– (तिरासी लाख चार हजार पाँच सौ पचास) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त स्वीकृत योजना एवं राशि की विवरणी निम्नवत् हैः–

क्र०	*जिला*	*योजना का नाम*	*प्रशासनिक स्वीकृत राशि (संलग्न विभागीय मॉडल प्राक्कलन अनुरूप)*
1.	**बोकारो**	जरीडीह प्रखण्ड के पंचायत–चिलगड्डा में स्टेडियम निर्माण (खाता सं०–01, प्लॉट सं०–2830, रकबा–9.00 एकड़ मध्ये–2.06 एकड़)	83,04,550/–
		कुल	**83,04,550/–**

(तिरासी लाख चार हजार पाँच सौ पचास) रूपये मात्र।

3. व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2025–2026 के योजना बजट मुख्य शीर्ष 4202 – शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– उप मुख्य शीर्ष– 03– खेलकूद तथा युवा सेवा –लघु शीर्ष – 102– खेलकूद स्टेडिया – उप शीर्ष – 22 – स्वामी विवेकानन्द स्मारक सहित राज्य के विभिन्न खेल संरचनाओं का निर्माण एवं उन्नयन – विस्तृत शीर्ष – 05 – निर्माण– प्राथमिक इकाई –45 – निर्माण कार्य इकाई मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा। (विपत्र कोडः 52S 42020310222000545)

4. उपायुक्त, बोकारो द्वारा योजना का क्रियान्वयन उनके कार्यालय पत्रांक– 198/खे०, दिनांक– 16.04.2025 के साथ संलग्न अंचल अधिकारी, जराडीह के पत्रांक–251, दिनांक–05.03.2025 के द्वारा चिन्हित सरकारी भूमि पर बगैर स्थल परिवर्तन के नियमानुसार कराना सुनिश्चित किया जायेगा। **चूंकि विभागीय मॉडल प्राक्कलन के अनुसार प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम निर्माण हेतु कुल 2.63 एकड़ भूमि आवश्यक है, इसलिए उपायुक्त, बोकारो द्वारा जरीडीह प्रखण्ड के पंचायत–चिलगड्डा में स्टेडियम निर्माण हेतु उपलब्ध भूमि (कुल 2.06 एकड़ में जिला क्रीड़ा पदाधिकारी एवं खेल संघ के परामर्शानुसार) के रकबा के अनुरूप ही विभागीय मॉडल प्राक्कलन के विभिन्न अवयवों का कार्य कराते हुए वास्तविक रूप से कम खर्च पर स्टेडियम निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।**

5. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपायुक्त, बोकारो होंगे तथा इसकी निकासी जिला कोषागार, बोकारो की जायेगी।

6. उपायुक्त, बोकारो द्वारा विषयांकित योजना का कार्यान्वयन पी०डब्लू०डी० कोड के आलोक में विभागीय मॉडल प्राक्कलन (जो अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, दुमका द्वारा तकनीकी स्वीकृत है) (छायाप्रति संलग्न) के अनुरूप कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7. विषयांकित योजना दिनांक–30.06.2026 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. योजना का कार्यान्वयन प्रशासनिक स्वीकृति की राशि के अंतर्गत निर्धारित समय–सीमा में ही कराया जाएगा ताकि पुनरीक्षण की आवश्यकता न पड़े।

9. उपायुक्त, बोकारो द्वारा विषयांकित योजना का कार्यान्वयन करने के क्रम में चिन्हित स्थल पर सूचना पट्ट (जिसमें प्रशासी विभाग का नाम, कार्यकारी एजेंसी एवं संवेदक का नाम, एकरारित राशि, कार्य प्रारंभ होने की तिथि एवं कार्य पूर्ण होने की तिथि दर्ज हो) अधिष्ठापित करवाना सुनिश्चित करेंगे।

10. स्टेडियम निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त स्टेडियम को संबंधित जिला क्रीड़ा पदाधिकारी के माध्यम से जाँचोपरान्त निदेशक, खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची को हस्तगत कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. आवंटित राशि किये गये कार्य के विरूद्ध व्यय किया जायेगा तथा बगैर विभाग के पूर्व अनुमोदन से अग्रिम राशि की निकासी नहीं की जायेगी।

12. योजना का कार्यान्वयन के क्रम में राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०, दिनांक–17.04.98 एवं कोषागार संहिता के नियम–174 तथा वित्त विभाग के पत्रांक–1955, दिनांक–19.08.05 तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों, वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता तथा झारखण्ड लोक निर्माण संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

13. राशि का विचलन कदापि नहीं किया जाए अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।

14. यदि प्रश्नगत कार्य पर किसी अन्य मद से राशि स्वीकृत/व्यय की गयी है या की जा रही है, तो इस आवंटन से राशि का व्यय नहीं किया जायेगा।

15. उपायुक्त, बोकारो समय–समय पर कार्य की प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा कार्य का पर्यवेक्षण/निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन करायेंगे तथा प्रत्येक माह, मासिक प्रगति प्रतिवेदन (भौतिक एवं वित्तीय) विभाग को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा योजना हेतु आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, झारखण्ड कार्यालय को ससमय समर्पित करते हुए इसका संसूचन अधोहस्ताक्षरी को किया जायेगा।

17. स्वीकृत्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनु०: यथोक्त।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(मनोज कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 34/रा.
राँची, दिनांकः 17-06-2025

प्रतिलिपिः– सानुलग्नक उपायुक्त, बोकारो/निदेशक, खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/मा० विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०:यथोक्त।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 34/रा.
राँची, दिनांकः 17-06-2025

प्रतिलिपिः– सानुलग्नक जिला क्रीड़ा पदाधिकारी, बोकारो को इस निदेश के साथ प्रेषित कि वे वहाँ के खेल संघों की राज्य/जिला इकाई एवं जिला खेल संचालन समिति से समन्वय स्थापित कर स्टेडियम का नियमित निरीक्षण करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन प्रतिमाह वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि प्रतिवेदन, जियो टैग फोटोग्राफ्स सहित विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनु०:यथोक्त।

सरकार के सचिव

D:\Brajesh 2025-26\Rajyadesh\April-25(C).docx